

पञ्जाबी अन्न प्रदान करने/करने के लिए
 अधिकांश 2023 में केवल कोर्ट पर पत्रावली
 पर पेश हुई। अतिरिक्त पत्र को अन्न प्रदान
 करके प्रदान कर/अ. पञ्जाबी अधिकारी को
 नहीं हुआ। अतः पञ्जाबी पूर्व अतिरिक्त
 दिनांक: 10/7/23
 के लिए हो

28/6/23

10-7-23

वकुलाये फरीकन उपस्थित।
 पीठासीन अधिकारी दोरे/भवकाश
 पर है। प्रशा. कार्यों में व्यस्त है।
 पत्रावली दि. 2/8/23 की पेश हो।
 B

2-8-23

वकुलाये फरीकन उपस्थित।
 पीठासीन अधिकारी दोरे/भवकाश
 पर है। प्रशा. कार्यों में व्यस्त है।
 पत्रावली दि. 22-8-23 की पेश हो।
 B

22-9-23

अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
 अधिकांश कोर्ट कार्य स्थगित
 रहा है। पीठासीन अधिकारी अन्य
 कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली
 दिनांक: 23-10-23 को पेश हो।
 B

23-10-23

वकुलाये फरीकन उपस्थित।
 पीठासीन अधिकारी दोरे/भवकाश
 पर है। प्रशा. कार्यों में व्यस्त है।
 पत्रावली दि. 22-12-23 की पेश हो।
 B

22/12/23

अधिवक्ता प्रदीप शर्मा अग्रवाल
 Mr. Rajeshwar Taneja को पत्रावली
 दिनांक 24.1.24 को पेश की।
 B

उपस्थित अधिकारी
 जे.एस.डी. सिन्हा-सोडरुवाली-सोडरुवा

24.1.24

वकुलाये फरीकन उपस्थित।
 पीठासीन अधिकारी दोरे/भवकाश
 पर है। प्रशा. कार्यों में व्यस्त है।
 पत्रावली दि. 29/1/24 की पेश हो।
 B

Not Press

3/29/24
 (मासिक अन्न प्रदान)

अधिवक्ता प्रदीप शर्मा अग्रवाल
 अधिवक्ता प्रदीप शर्मा को Not Press
 के अंतर्गत अन्न प्रदान में पत्रावली
 नहीं करनी चाहिए। उताली

क्र. नं. 35
2022
श्री श्री काम इत्यादि
जयल - पत्र 212 R.T. Act

जयल में जयल - पत्र रानि
किता जाता है पत्रावली निर्दिष्ट
दस्तावेजों के माध्यम - 6 वर
5/

उपरोक्त अधिकारी
केन्द्रीय, विद्युत-संचालन-परिषद्